वित्तीय स्वीकृति/आयोजनागत
संख्या–/XVII-3/2017–01(16)/2016

प्रेषक,

डॉ. भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड भाासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग **देहरादूनः** **दिनांकः** 28 **मार्च, 2017**

विशय–वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना' हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1061/नि.अ.क./मु.अ.प्रो.यो./2016–17, दिनांक 16.11.2016, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 एवं शासनादेश संख्याः 1097/XXVII(1)/2016, दिनांक 20.09.2016 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में उक्त योजनान्तर्गत 'आयोजनागत' पक्ष में प्राविधानित ₹ 10.00 लाख के सापेक्ष ₹ 2.20 लाख (₹ दो लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26.07.2016 एवं दिनांक 20.09.2016 में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. उक्त शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानानुसार अवचनबद्ध मदों की आवश्यकताओं को बजट प्राविधान की सीमा तक ही सीमित रखते हुए धनराशि का व्यय किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन संचालन योजना नियमावली–2005 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान ऑनलाईन किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यक मदों हेतु ही किया जायेगा तथा व्यय में मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
5. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, कि जिसे व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुार ही आहरित की जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित सीमा तक उसी मद के लिए किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है।
7. धनराशि का व्यय करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों का पालन कड़ाई से किया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग करके उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

राष्ट्रीय

9. उक्त धनराशि के सापेक्ष समस्त व्यय की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में शासन को प्रस्तुत किया जायेगा।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में 'अनुदान संख्या–15' के 'आयोजनागत' ''लेखाशीर्षक–2250–अन्य सामाजिक सेवायें–00–800–अन्य व्यय–00–17–मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना'' के मानक मद ''20–सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता'' के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशा0 संख्या–365(P)/XXVII(3)/2016–17, दिनांक 27 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति तथा तत्क्रम में शासनादेश संख्या–183/XXVII-I/2012 दिनांक 28.3.2012 द्वारा विहित व्यवस्था के क्रम में www.cts.uk.gov.in से सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति/बजट आवंटन हेतु निर्गत विशिष्ट नम्बर/अलॉटमेंट आई.डी. संख्या:S1703150576,दिनांक 28 मार्च, 2017 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न– यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ. भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:–35 / XVII- 3/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट उत्तराखण्ड, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम, देहरादून।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
9. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(जी.एस. भाकुनी)
उप सचिव।